

**कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननुरखेडा, तपोवन, देहरादून**

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 686 /2022-23 दिनांक 05 अगस्त, 2022

**“विज्ञप्ति/नियुक्ति”**

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 244/70/01 डी०आर०(मा०शि०)/सेवा-1/2019-20 दिनांक 14 जून, 2022 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-47755/XXIV-B-1/2022-17(01)/2019 टी०सी० दिनांक 06 जुलाई, 2022 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता संस्कृत (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी / उप श्रेणी	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	तैनाती विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
1	विजेन्द्र	प्रकाश चन्द्र ग्राम-पिकलापानी ग्रामसभा-कणसिल पो०आ०-उच्चादुंगी जिला-रूद्रप्रयाग	GEN	22.11.1990 रूद्रप्रयाग	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० कैलाशबांगर, जखोली रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	प्रवेश प्रसाद	जमुना प्रसाद ग्राम व पो०ओ०-पौन्टी तहसील-बड़कोट जिला-उत्तरकाशी	OBC/G EN	16.07.1995 उत्तरकाशी	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० रानागीठ, नौगांव, उत्तरकशी।	रिक्त पद के प्रति
3	शशांक पंचभैया	किशोर चन्द्र पंचभैया ग्राम-नगुण पो०ओ०-रानाकोट पट्टी-कण्डलस्थूं जिला-पौड़ी गढ़वाल	GEN	01.07.1995 पौड़ी	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० कमान्दा नैनीडांडा, पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
4	कमल जोशी	गोविन्द बल्लभ जोशी 236/1 तिवारी नगर न०-13 खुरियाखत्ता लालकुंआ जिला-नैनीताल	GEN	20.06.1993 नैनीताल	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० तामली, चम्पावत।	रिक्त पद के प्रति
5	कैलाश चन्द्र शर्मा	रामदत्त शर्मा ग्राम-भ्याड़ी पो०ओ०-मौलेखाल तहसील-सल्ट जिला-अल्मोड़ा	EWS	07.04.1989 अल्मोड़ा	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० पुभाऊ, लमगड़ा, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6	गौरव सिंह रावत	बिरेन्द्र सिंह रावत गाम-रैंसोली तल्ली सतपुली जिला-पौड़ी	GEN/P H(B)	10.02.1994 पौड़ी	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० धोबीघाट, दुगड्डा, पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
7	अनुज नौडियाल	जयकृष्ण नौडियाल ग्राम- पुजेली(कुमोला) पो०ओ०-पुरोला जिला-उत्तरकाशी	OBC	02.02.1995 उत्तरकाशी	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० किरेथकेमर, भिलंगना, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
8	रेनु उपाध्याय	गिरीश चन्द्र उपाध्याय ग्राम व पो०ओ०-सिंगाली जिला-पिथौरागढ़	GEN/U F	13.06.1993 पिथौरागढ़	एम०ए० संस्कृत, बी०एड०	रा०इ०का० रँथी, धारचूला, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति


क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी / उप श्रेणी	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	तैनाती विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
9	देवेन्द्र प्रसाद	सुरेशानन्द इन्द्रप्रस्थ लेन-13 अपर नत्थनपुर नेहरूग्राम देहरादून	OBC	05.05.1993 देहरादून	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० पीपली, नैनीडांडा, पौड़ी।	रिक्त पद के प्रति
10	कविता शर्मा	नीरज कुमार शर्मा ग्राम-मोहनावाला पो०ओ०-खानपुर जिला-हरिद्वार	GEN/UF	29.01.1986 हरिद्वार	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० रामपुर न्यालसू, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।	रिक्त पद के प्रति
11	सुनीता जोशी	नारायण दत्त कलौनी ग्राम व पो०ओ०-कालिका तहसील-धारचूला जिला-पिथौरागढ़	EWS/G EN/UF	05.09.1990 पिथौरागढ़	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० डोर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
12	ललित प्रसाद आर्या	स्व० खुशाल राम आर्या ग्राम-ऐठाण पो०ओ०-भराडी तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर	SC	01.01.1996 बागेश्वर	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० काण्डा, बोगेश्वर।	रिक्त पद के प्रति
13	कृपा राम शर्मा	गंगा राम शर्मा ग्राम-कावाखेड़ा पो०ओ०-कान्डोई भरम तहसील-चकराता जिला-देहरादून	ST	10.08.1993 देहरादून	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० धूमाकोट, नैनीडांडा, पौड़ी।	रिक्त पद के प्रति
14	दीपक कुमार	विजयपाल ग्राम-असेड़ पो०ओ०-असेड़ सिमली चमोली	SC	03.07.1996 चमोली	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० बांजबगड़, नन्दानगर, चमोली।	रिक्त पद के प्रति
15	गोबर्द्धन	गोकुल देव ग्राम-डाँगी पो०ओ०-पठालीधार जिला-रूद्रप्रयाग	SC	01.05.1986 रूद्रप्रयाग	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० कोटबांगर, जखोली रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
16	पूजा	कैलाश राम ग्राम-काकड़ नर्रा पो०ओ०-बाराकोट जिला-चम्पावत	SC/UF	01.08.1991 चम्पावत	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० ढोलीगांव, ओखलकाण्डा, नैनीताल।	रिक्त पद के प्रति
17	ललित मोहन जोशी	मोहन चन्द्र जोशी ग्राम-धनखोली पो०ओ०-ऐना जिला-अल्मोड़ा	EWS/G EN/PH(OL)	04.03.1987 अल्मोड़ा	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० खेला, धारचूला, पिथौरागढ़।	रिक्त पद के प्रति
18	विनोद प्रसाद नौटियाल	रामकृष्ण नौटियाल ग्राम-महरगाँव पो०ओ०-मोल्डाडी तहसील-पुरोला जिला-उत्तरकाशी	OBC/P H(OA)	15.05.1982 उत्तरकाशी	एम०ए० संस्कृत, बी०ए०	रा०इ०का० रानागीठ, नौगांव, उत्तरकाशी।	रिक्त पद के प्रति

2. उक्त नियुक्तियां मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं०-238/2020 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1359/2020 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-386/2020 (एस०बी०), रिट याचिका सं०-3516/2018 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1350/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1245/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1397/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1356/2021 (एस०एस०), रिट

याचिका सं०-1037/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-947/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1507/2021 (एस०एस०) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

3. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

4. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

  
(रामकृष्ण उनियाल)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पु०सं० सेवा-2/अराज०/11964-75/2022-23 तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति है।

संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।

- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
(13) कार्यालय आदेश पुरितका।

  
(रामकेश उनियाल)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड